भारत सरकार

वित्‍त मंत्रालय

राजस्‍व विभाग

**राज्‍य सभा**

**अतारांकित प्रश्‍न सं. 3598**

**(जिसका उत्‍तर मंगलवार, दिनांक 27 मार्च, 2018/** **6 चैत्र, 1940 (शक) को दिया जाना है)**

**जीएसटी के अधीन राज्यों के देय राशि संबंधी दावे**

**†3598. श्री नरेश अग्रवालः**

 क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या यह सच है कि जीएसटी के तहत राज्यों को प्रतिपूर्ति दे पाने में सरकार असफल हुई है;

(ख) यदि हां, तो उसके कारण क्या हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो केन्द्र के पास राज्यों का कितना प्रतिपूर्ति बकाया है और उसे कब तक दे दिया जाएगा?

**उत्‍तर**

**वित्‍त मंत्रालय में राज्‍य मंत्री (श्री शिव प्रताप शुक्‍ल)**

(क) और (ख): जी, नहीं।

(ग): माल और सेवा कर (राज्‍यों को क्षतिपूर्ति) अधिनियम, 2017 की धारा 7 के उपबंधों के अनुसार राज्‍यों को राजस्‍व की हानि परिकलित की जाएगी और राज्‍यों को राजस्‍व की हानि के लिए क्षतिपूर्ति अनंतिम रूप से परिकलित की जाएगी और प्रत्‍येक दो माह की अवधि के अंत में जारी की जाएगी। उक्‍त अधिनियम की धारा 4 के अनुसार, वित्‍त वर्ष 2015-16 को परिवर्तन काल अवधि के दौरान राजस्‍व हानि के लिए राज्‍यों को देय क्षतिपूर्ति राशि परिकलन के लिए आधार वर्ष के रूप में लिया गया है। परिवर्तन काल अवधि के दौरान किसी राज्‍य के लिए सम्मिलित राजस्‍व की अनुमानित सांकेतिक वृद्धि दर 14 प्रतिशत प्रति वर्ष होगी। इस आधार पर, जुलाई, 2017 से फरवरी, 2018 के माह के लिए राज्‍यों को माल और सेवा कर के कार्यान्‍वयन के कारण हुई राजस्‍व हानि का अनुमान लगाया गया और तदनुसार, जुलाई, 2017 से फरवरी, 2018 की अवधि के लिए द्विमासिक आधार पर राज्‍यों/संघ राज्‍य क्षेत्रों को माल और सेवा कर क्षतिपूर्ति का भुगतान निम्‍नानुसार किया गया:-

|  |  |
| --- | --- |
| **अवधि** | **संदत्‍त जीएसटी क्षतिपूर्ति की राशि (करोड़ रु. में)** |
| जुलाई-अगस्‍त, 2017 | 10806 |
| सितम्‍बर-अक्‍टूबर, 2017 | 13694 |
| नवम्‍बर-दिसम्‍बर, 2017 | 3898 |
| जनवरी-फरवरी, 2018 | 11495 |
| कुल | 39893 |

\*\*\*\*\*